

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana							
No. 84-202	23/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक ९ मई, 2023 (19 वैशाख, 1945 शक)						
विधायी परिशिष्ट							
क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ट					
भाग—I	अधिनियम						
	कुछ नहीं						
भाग—II	अध्यादेश						
	कुछ नहीं						
भाग–III	प्रत्यायोजित विधान						
	 अधिसूचना संख्या का०आ० 20 / पं०अ० 18 / 1961 / धा० 15 / 2023, दिनांक ९ मई, 2023- पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023. 	115—120					
	 अधिसूचना संख्या का०आ० 21/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023, दिनांक 9 मई, 2023– हिरयाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023. 	121—140					
भाग–IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं						

भाग-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2023

संख्या का॰आ॰ 20/पं॰अ॰ 18/1961/धा॰ 15/2023.— हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप—धारा (2) के साथ पिठत उप—धारा (1) के अधीन प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2023 कहे जा सकते हैं ।
- 2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 6 में, उप—नियम (२क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
 - "(2अ) (क) पंचायत, नियम 3 के उपबंधों के अनुसार भूमि उपयोग योजना तैयार करने के बाद और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बाद गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पशु चिकित्सा अस्पताल, पंचगव्य उत्पाद और चारा खेती अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के प्रयोजन हेतु ऐसे धर्मार्थ संगठन जिसका समाज के लिये परोपकारी योगदान का इतिहास है और जिसके पूर्ववृत्त को सत्यापित किया गया है और जिसे खंड (ख) के अधीन गठित की जाने वाली समिति तथा हिरयाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है, को अपनी भूमि पट्टे पर दे सकती है:

परन्तु गौशाला द्वारा चारे की खेती के प्रयोजन के लिये, केवल भूमि जो किसी ग्राम में चरान्द के लिये चिहिनत भूमि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पट्टे पर दी जाएगीः

परन्तु यह और कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि के दौरान हर समय गौशाला में कुल पशु आबादी के कम से कम पचास प्रतिशत आवारा पशुओं को रखना और उनका अनुरक्षण करना होगा।

- (ख) आवेदक गौशाला भूमि के पट्टे के लिए अपना आवेदन संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत कर सकता है, जो उसे संबंधित पंचायत को, उसके विचारण के लिए भेज सकता है। पंचायत, सुझाव प्राप्त करने और ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्ताव पारित कर सकती है। पंचायत अपना प्रस्ताव संबंधित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भेजेगी। पंचायत के प्रस्ताव की संवीक्षा संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और उप निदेशक पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा की जाएगी और अपनी अनुशंसा हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार को कर सकती है।
- (ग) भूमि का पट्टा, पंचायत तथा खण्ड (ख) के अधीन उल्लिखित समिति द्वारा प्रस्तावित तथा अनुशंसित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:—
 - (i) गौशाला द्वारा चारे की खेती के लिए प्रति सौ पशुओं के लिए केवल 1.5 एकड़ तक ही भूमि दी जा सकती है। तथापि, इसके अतिरिक्त, गौशाला की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रति सौ पशुओं पर केवल 0.75 एकड़ तक भूमि भी दी जा सकती है। पशुओं की संख्या कम या अधिक होने की दशा में, पशुओं की संख्या के समानुपात में भूमि दी जायेगी। पशुओं की संख्या की गणना द्विवार्षिक रूप से की जाएगी तथा पशुओं की संख्या में कमी पाए जाने की दशा में, पंचायत को पशुओं की घटी हुई संख्या के समानुपात में भूमि का क्षेत्रफल वापस लेने अधिकार होगा और वह ऐसी भूमि वापिस लेगी।
 - (ii) उपरोक्त उप—खंड (i) में उल्लिखित के अतिरिक्त, बायोगौस प्लांट, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल और अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रयोजन हेतु, 1500 या अधिक पशुओं वाली गौशाला को दो एकड़ तक भूमि दी जा सकती है।
 - (iii) पट्टा राशि पांच हजार एक सौ रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। वार्षिक पट्टा राशि का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
 - (iv) पट्टेदार को भूमि को उप-पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
 - (v) पट्टेदार को खण्ड (ख) में उल्लिखित समिति के समक्ष वार्षिक रूप से अपनी कुल आय और व्यय के संबंध में लेखापरीक्षित खातों का विवरण, संबंधित पंचायत और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी को एक प्रति सहित, प्रस्तुत करना होगा।
 - (vi) संबंधित सरपंच तथा खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, गौशाला की प्रबंधन समिति या ऐसी गौशाला के मामलों की देख—रेख के लिये गठित अन्य समिति के पदेन सदस्य होंगे। ये पट्टे के निबंधनों और शर्तों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
 - (vii) कोई अन्य निबंधन और शर्तें, जो समिति द्वारा अनुशंसित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।

- (घ) उपरोक्त खण्ड (ग) में यथा उल्लिखित किसी भी शर्त तथा पट्टा विलेख की निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन की दशा में, भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूमि का कब्जा पंचायत को वापस कर दिया जायेगा।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 22 में, प्रविष्टि (vi) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— "(vii) गौशालाओं के लिए पटटा विलेख का प्ररूप (प्ररूप VI)"।
- 4. उक्त नियमों में, प्ररूप V के बाद, निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप VI

(देखिए नियम 22)

(दाखर ।नयम २२)							
पट्टे का यह विलेख एक पक्ष में पंचायत ——————— (इसमें, इसके बाद, इसे 'पट्टाकार' के रूप में निर्दिष्ट							
किया गया है) तथा दूसरे पक्ष में श्री, पुत्र निवासी गांव, तहसील							
—————— जिला ——————(इसमें, इसके बाद, इसे 'पट्टेदार', जिसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक,							
उतराधिकारी तथा समनुदेशिती के पद भी शामिल हैं, कहा गया है) के बीच दिनांक ———— को किया गया ।							
और, चूंकि पट्टाकार किराये पर देने के लिए सहमत है तथा पट्टेदार, भूमि जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है और							
पट्टे पर दी जानी आशयित है, को निम्न अनुसार निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन लेने के लिए सहमत है ।							
इसलिये, अब, यह विलेख साक्षी है कि पट्टाकार तहसील, जिला ——— के गांव ———— में स्थित खसरा							
संख्या———— से सम्बन्धित भूमि रकबा तादादी ————एकड़————कनाल————मरला———— टुकड़े का							
पट्टेदार को पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के अनुसार तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन आबंटन द्वारा पटटा							
देती है :-							

- (1) कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि के दौरान हर समय गौशाला में कुल पशु आबादी के कम से कम पचास प्रतिशत आवारा पशुओं को रखना और उनका अनुरक्षण करना होगा।
- (2) कि पट्टेदार उपरोक्त भूमि को खरीफ /रबी ———— से आरम्भ होकर —— वर्ष की अवधि के लिए —— रूपये प्रति बीघा / एकड़ के वार्षिक किराये पर लेता है । पट्टेदार ने —— रूपये अग्रिम में अदा कर दिए हैं तथा —————— प्रथम वर्ष के लिए ——— रूपये पट्टाकार को अदा करेगा और उसके पश्चात् ——— रूपये वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष फरवरी मास में अग्रिम में अदा करेगा ।
- (3) कि पट्टेदार उक्त भूमि या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में देय
 - (क) पूर्ण निर्धारण, उप कर, पानी दर, और तत्समय लागू किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित अन्य प्रभार;
 - (ख) पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 के अनुसार पट्टा धन राशि का भुगतान करेगा।
- (4) कि पट्टेदार पट्टे पर दी गई भूमि या उस पर बने भवन या उसके किसी भाग को किसी तरह समनुदेशित, स्थानांतरित, गिरवी या उप–किराए पर नहीं देगा ।
- (5) कि पट्टेदार पट्टातंरित क्षेत्र में झाडियां हटाने, खेतों को समतल करने, खालों की सफाई करने, बांध बनाने, जल मार्गी से कीचड साफ करने इत्यादि के लिए जिम्मेवार होगा ।
- (6) कि कृषि जोत से सम्बन्धित सभी मामले अर्थात् जुताई करने, बुआई करने, सिंचाई करने, फसल बोने, खुदाई करने, खाद डालने, उर्वरकों तथा कीट नियंत्रकों का प्रयोग करने, इत्यादि कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा यथा अनुशंसित तथा विस्तार अधिकारी (कृषि), क्षेत्र के ग्राम स्तरीय कर्मकार के निर्देशों तथा मार्गदर्शन अनुसार किये जायेंगे।
- (7) कि पट्टेदार फसल, बाड, पेड़ों तथा भूमि पर अन्य आवश्यक संपत्ति की देखभाल करेगा ।
- (8) कि पटटेदार को सिंचाई विभाग के विनियमों का पालन करना होगा, जिसकी चूक की दशा में, उक्त विभाग के प्राधिकारियों द्वारा पानी बेकार करने के लिए अधिरोपित जुर्माना उसे अदा करना होगा ।
- (9) कि यदि पट्टेदार अपने कर्तर्व्यों की उपेक्षा करता है, तो पट्टाकार को यह कर्त्तव्य उसके (पट्टेदार के) खर्चे पर पूरा करवाने का अधिकार होगा ।
- (10) कि पट्टाकार को किसी हानि, जो उपरोक्त में से किसी शर्त की उस द्वारा पालना न करने के कारण हुई हो, के लिए हर्जाना पाने का अधिकार होगा ।
- (11) कि यदि पट्टेदार किराया देने या भूमि जोतने में असफल रहता है, तो वह प्रश्नगत भूमि का कब्जा पंचायत के सरपंच (पट्टाकार) या पटटाकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा। पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर भूमि खाली करके कब्जा पट्टाकार को देगा।
- (12) कि गौशाला में पशुओं की संख्या की गणना द्विवार्षिक रूप से की जायेगी तथा पशुओं की संख्या में कोई कमी पाये जाने की दशा में, पंचायत को पशुओं की घटी हुई संख्या के समानुपात में भूमि का क्षेत्रफल वापस लेने का अधिकार होगा और वह ऐसी जमीन वापिस ले सकती है।
- (13) कि पट्टेदार को नियम 6 के उप—नियम (2क) के खण्ड (ख) में उल्लिखित समिति के समक्ष वार्षिक रूप से अपनी कुल आय और व्यय के संबंध में लेखापरीक्षित खातों का विवरण, संबंधित पंचायत और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी को एक प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।

- (14) कि संबंधित सरपंच तथा खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी गौशाला की प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पट्टे के निबंधन और शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
- (15) कि भूमि का उपयोग केवल पशुओं को रखने तथा चारे की खेती के प्रयोजन के लिए किया जायेगा। तथापि, पट्टेदार द्वारा उसमें कर्मचारियों के लिए आवासीय कमरे भी बनाए जा सकते हैं। बिक्री के प्रयोजन से परिसर के भीतर कोई दुकान या आउटलेट स्थापित नहीं किया जाएगा। पट्टेदार परिसर से कोई अवैध गतिविधि कार्यान्वित नहीं करेगा। इस करार की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में, पंचायत द्वारा कब्जा वापस ले लिया जायेगा।
- (16) कि पट्टेदार आवश्यकता के अनुसार अपनी लागत पर चारदीवारी / बाड़, पशुशाला, चारा भण्डार आदि का निर्माण करेगा। चारे की खेती भी पट्टेदार द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी।
- (17) कि गौशाला का दैनिक संचालन तथा अनुरक्षण पट्टेदार द्वारा किया जायेगा। पानी और बिजली का पूरा शुल्क भी पट्टेदार द्वारा वहन किया जाएगा। पट्टेदार जनता, मवेशियों और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा तथा बचाव सुनिश्चित करने के लिए परिसर में आवश्यक अग्नि स्रक्षा व्यवस्था करेगा।
- (18) कि पट्टेदार परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ, स्वच्छ दशा में रखेगा।
- (19) कि पट्टेदार सभी युक्तियुक्त समय पर पंचायत के अधिकृत प्रतिनिधियों को उक्त परिसर में जाने और निरीक्षण करने की अनुमति देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टेदार करार की शर्तों का विधिवत् पालन कर रहा है।
- (20) कि गौशाला में मृत पशुओं के अभिलेख सिहत गौशाला में रखे गए पशुओं का समुचित अभिलेख पट्टेदार द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा।
- (21) कि गौशाला में आवारा गायों, बैलों और बछड़ों को प्राप्त करने और उनके पोषण, देखभाल के साथ—साथ गौशाला के दैनिक संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।
- (22) कि निरीक्षण के दौरान प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इंगित की गई त्रुटि, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए पट्टेदार बाध्य है और उसकी अनुपालना रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी।
- (23) कि पट्टेदार किसी भी पशु की मृत्यु के बारे में अविलम्ब पंचायत को सूचित करेगा। पट्टेदार युक्तियुक्त समय में मृत मवेशियों को हटाने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।
- (24) कि पट्टेदार समय—समय पर, राज्य सरकार / पंचायत या केन्द्र सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन / अनुपालन करेगा।
- (25) कि पट्टेदार समय-समय पर, किसी भी प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत किसी भी कर या शुल्क का भुगतान करेगा।
- (26) कि पट्टेदार किसी भी कारण से करार के समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर, भूमि और उस पर निर्मित बुनियादी ढांचे का कब्जा पंचायत को सौंप देगा।
- (27) कि यदि पट्टेदार की ओर से या इसमें निहित किसी भी शर्त और ऐसी शर्त जिसका उसके द्वारा पालन किया जाना है और उसके द्वारा निष्पादित किया जाना है, का उल्लंघन होता है, तो पट्टाकार या उसकी ओर से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति पट्टे को समाप्त कर सकता है और फिर से पट्टातंरित परिसर में प्रवेश कर सकता है। ऐसी दशा में, पट्टेदार, कोई भी मुआवजा, जो भी हो, पाने का हकदार नहीं होगा।
- (28) कि यदि इसके पक्षकारों के बीच इस पट्टे की लम्बित अवधि के दौरान इस पट्टे के सम्बन्ध में किसी मामले या वस्तु या उसके निबन्धनों बारे कोई भेद या विवाद पैदा होता है, तो ऐसा भेद या विवाद सम्बन्धित जिले के जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा जिसका निर्णय पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और अन्तिम तथा निर्णायक होगा ।

इसके साक्ष्य में इस के पक्षकारों ने क्रमशः इसमें, इसके बाद, वर्णित तिथियों को निम्नानुसार अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

गवाह

पटटेदार के हस्ताक्षर राजस्व टिकट, प्रतिभूति इत्यादि

पंचायत की ओर से सरपंच/पंच के हस्ताक्षर।"।

गवाह

अनिल मलिक, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 9th May, 2023

- **No. S.O. 20/P.A. 18/1961/S. 15/2023.** In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-
- 1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2023.
- 2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 (hereinafter called the said rules), in rule 6, for sub-rule (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(2A) (a) The Panchayat may, after preparing land utilization plan as per the provisions of rule 3 and after prior approval of State Government, lease out its land for the purposes of establishing gaushala, biogas plant, veterinary hospital, research and training centre panchgavya products and cultivation of fodder through allotment for a maximum period of twenty years to such charitable organization which has a history of philanthropic contribution to society and whose antecedents have been verified and which is recommended by the committee to be constituted under clause (b) and the Haryana Gau Sewa Aayog:

Provided that for the purpose of cultivation of fodder by gaushala, only the land which shall not be more than twenty-five percent of the land earmarked for charand in a village shall be leased out:

Provided further that the lessee shall have to house and maintain at least fifty percent stray cattle of the total cattle population in the gaushala at all points of time during the lease period.

- (b) The applicant gaushala shall submit its application for lease of land to the Deputy Commissioner concerned, who may send the same to the Panchayat concerned for its consideration. The Panchayat may after obtaining suggestion and approval of Gram Sabha may pass a resolution. The Panchayat shall forward its proposal to the Deputy Commissioner through Block Development and Panchayats Officer concerned. The proposal of the Panchayat shall be scrutinized by a committee comprising Additional Deputy Commissioner, President of Zila Parishad, District Development and Panchayats Officer, District Revenue Officer and Deputy Director of Animal Husbandry and Dairying Department under the chairmanship of the Deputy Commissioner concerned and may make its recommendation to the State Government through Haryana Gau Sewa Aayog.
- (c) The lease of the land shall be subject to the following conditions, besides the conditions proposed and recommended by the Panchayat and the committee mentioned under clause (b):-
 - (i) for cultivation of fodder by the gaushala, only upto 1.5 acres of land for every one hundred animals may be given. However, in addition, for the purpose of establishment of gaushala, only upto 0.75 acre of land for every one hundred animals may also be given. In case of lesser or higher number of animals, the land shall be given in proportion of the number of animals. The number of animals shall be counted bi-annually and in case of any decrease is found in the number of animals, the Panchayat shall have the right to claim back the area of land in proportion to the decreased number of animals thereof and it shall take back such land.
 - (ii) For the purpose of setting up biogas plant, panchgavya products, veterinary hospital and research and training centre, upto two acres of land may be given in addition to land mentioned in sub-clause (i) above to a gaushala having 1500 or more animals.
 - (iii) The lease money shall not be less than Rs. 5100/- per acre per year. The annual lease money shall be paid in advance.
 - (iv) The lessee shall have no right to sub-lease the land.
 - (v) The lessee shall have to submit audited accounts statement in respect of its total income and expenditure annually before the committee mentioned in clause (b) with a copy to the Panchayat and Block Development and Panchayat Officer concerned.
 - (vi) The Sarpanch and the Block Development and Panchayats Officer concerned shall be ex-officio members of the managing committee of the gaushala or any committee formed to look after the affairs of gaushala. They shall ensure that the terms and conditions of the lease are fully complied with.

- (vii) Any other terms and conditions as may be recommended by the committee and approved by the State Government.
- (d) In case of violation of any condition as mentioned in clause (c) above and the terms and conditions of the lease deed, the lease of the land shall be cancelled and the possession of the land shall revert back to the Panchayat.".
- 3. In the said rules, in rule 22, after entry (vi), the following entry shall be added, namely: "(vii) Form of lease deed for gaushalas (Form VI).".
- 4. In the said rules, after FORM V, the following Form shall be added, namely:

4. In	the said rules, after FORM V,	the following Form s	shall be added, namely	/:-			
		"FORN	M VI				
		[see rul	le 22]				
Tl	nis deed of lease made this_	day of	between th	e Panchayat			
(hereinaf	ter referred to as the ('lessor')	of the one part and S	Shri	, son of			
resident	of village, te	hsil	district	(hereinafter called the			
'lessee' which expression shall include his heirs, executors, administrators, successors and assignees) of the other							
part.							
	nd, whereas the lessor has agre to hereby lease upon the terms		•	e the land hereinafter described and ppearing.			
N	ow, thereafter, this deed witnes	seth that the lessor of	does hereby grant to th	ne lessee by allotment a lease of the			
piece of	land measuring Acre _	Kanal	_ Marla pertaining to	Khasra No situated in			
village _	, tehsil, district	to hold the san	ne in accordance with	the Punjab Village Common Lands			

- (Regulation) Rules, 1964, and subject to the following conditions:(1) That the lessee shall have to house and maintain atleast fifty percent stray cattle of the total cattle population in the gaushala at all points of time during the lease period.
- (2) That the lessee hereby takes the aforesaid land for the term of ______ year and beginning from Kharif/Rabi _____ on the yearly rent of Rs._____ per bigha /acre. The lessee has paid Rs. _____ in advance and shall pay to the lessor Rs. _____ for the 1st year on _____ and thereafter the yearly rent Rs. _____ shall be paid in the advance in the month of February, every year.
- (3) That the lessee shall pay, when due in respect of the said land or any part thereof-
 - (a) full assessments, cesses, water rates and other charges imposed by competent authority under any law for the time being in force;
 - (b) lease money in accordance with the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964.
- (4) That the lessee shall not assign, transfer in any way, mortgage or sublet the land hereby demised or premises thereon or any part thereof.
- (5) That the lessee shall be responsible for removing the bushes, leveling the fields, cleaning the Khals, making bunds, clearing the mud out of the water courses etc. in the demised area.
- (6) That all matters relating to cultivation e.g. ploughing, sowing, watering, cropping, digging manuring, use of fertilizers and control of pests, etc., will be carried out as recommended by the Agriculture and Farmers Welfare Department and under the instructions and guidance of the Extension Officer (Agriculture), Village Level Worker of the area.
- (7) That the lessee shall look after the crops, fencing, trees and other necessary fixtures on the land.
- (8) That the lessee shall have to abide by the Regulation of the Irrigation Department, in default of which, he shall have to pay the penalty which may be imposed by the authorities of said Department for wastage of water.
- (9) That if the lessee neglects his duties, the lessor shall have the right to get these duties performed at his (lessee's) expense.
- (10) That the lessor shall have a right to get damages from lessee for any loss which may result from his non-compliance with any of the above conditions.
- (11) That in case the lessee fails to pay the rent or to cultivate the land he shall deliver the possession of the land in question to the Sarpanch of the Panchayat (lessor) or any other person authorized by the lessor. The lessee shall on the expiry of the lease, vacate and give possession of the land to the lessor.
- (12) That the number of animals in gaushala shall be counted bi-annually and in case of any decrease is found in the number of animals, the Panchayat shall have the right to claim back the area of land in proportion to the decreased number of animals thereof and it can take back such land.

- (13) That the lessee shall have to submit audited accounts statement in respect of its total income and expenditure annually before the committee mentioned in clause (b) of sub-rule (2A) of rule 6 with a copy to the Panchayat and Block Development and Panchayat Officer concerned.
- (14) That the Sarpanch and the Block Development and Panchayats Officer concerned shall be ex-officio members of the managing committee of the gaushala to ensure that the terms and conditions of the lease are fully complied with.
- (15) That the land shall be utilized only for the purpose of keeping cattle and cultivation of fodder. However, the residential rooms can also be constructed for the staff therein by the lessee. No shop or outlet shall be established within the premises for the purpose of sale. The lessee shall not carry out any illegal activity from the premises. In case of breach of any condition of this agreement, the possession shall be taken back by the Panchayat.
- (16) That the lessee shall raise boundary wall/fencing, cattle shed, fodder store etc. on its own cost as per requirement. cultivation of fodder shall also be done by the lessee on its own cost.
- (17) That the day to day operation and maintenance of gaushala shall be done by the lessee. The entire water and electricity charges shall also be borne by the lessee. The lessee shall make necessary fire safety arrangements in the premises to ensure safety and security of the public, cattle and the staff working therein.
- (18) That the lessee shall keep the premises and its surrounding in a clean, hygiene condition.
- (19) That the lessee shall at all reasonable times allow access to the authorized representatives of the Panchayat to visit and inspect the said premises to ascertain that the lessee is duly observing the conditions of agreement.
- (20) That the lessee shall maintain proper record in respect of the animals kept in the gaushala including record of animals died in the gaushala.
- (21) That the lessee shall take the entire responsibility for receiving the stray cows, bulls and calves at gaushala and their feeding, care as well as day to day running and management of the gaushala.
- (22) That the lessee is bound to remove the defect, if any, pointed out by the authorized officers during inspection and compliance report thereof shall be furnished within 3 days to the Panchayat.
- (23) That the lessee shall intimate the Panchayat without any delay about the death of any cattle. The lessee shall make appropriate arrangement for the removal of the dead cattle in a reasonable time.
- (24) That the lessee shall strictly abide/observe the rules and regulations imposed by the State Government/ Panchayat or any other authority of the Centre Government from time to time.
- (25) That the lessee shall make payment of any tax or charge levied by any authority from time to time.
- (26) That the lessee shall hand over the possession of the land and infrastructure created thereon to the Panchayat within 48 hours after termination of the agreement for the reasons whatsoever.
- (27) That in case there is breach on the part of the lessee or any of the conditions herein contained and to be observed and performed by him, the lessor or any person authorized by him in his behalf may terminate the lease and re-enter the demised premises and in such case, the lessee shall not be entitled to get any compensation, whatsoever.
- (28) That if any difference or dispute shall arise during the pendency of this lease between the parties hereto in regard to any matter or thing concerning this lease and the terms thereof, such difference or dispute shall be referred to the District Development and Panchayats Officer of the district concerned whose decision shall be binding on the parties and shall be final and conclusive.

In witness whereof the parties to this agreement have hereunto set and subscribed their hands on the dates hereinafter mentioned respectively.

Witness

Signature of the lessee Revenue ticket, surety, etc.

Witness

Signature of Sarpanch/ Panch on behalf of the Panchayat.".

ANIL MALIK,

Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department.